न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 71/2022 G.C.M.S. No. 2022/417 दर्ज दिनांक : 27.10.2022

अपीलार्थिगण:

1. करणाराम पुत्र महादेवाराम
2. नरींगाराम पुत्र महादेवाराम
3. मंगनाराम पुत्र हराराम जातियान तमाम रेबारी, निवासीगण दादाल, तहसील सायला, जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. कपूराराम पुत्र वालाजी
2. छैलाराम पुत्र वालाजी
3. रडमाराम पुत्र वालाजी
4. फगलूराम पुत्र वालाजी
5. बबुराराम पुत्र वालाजी जातियान तमाम मेघवंशी
6. बगाराम पुत्र लखकमाराम
7. खंगाराम पुत्र महादेवाराम
8. नपाराम पुत्र भोणाराम
9. बगाराम पुत्र हराराम
10. मांगाराम पुत्र भोणाराम
11. लीलूदेवी पुत्री भोणाराम
12. वरजागाराम पुत्र महादेवाराम
13. समूदेवी पत्नि भोणाराम जातियान तमाम रेबारी, निवासीगण दादाल, तहसील सायला, जिला जालोर
14. तहसीलदार महोदय सायला।

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.09.2022 सहायक कलक्टर सायला राजस्व प्रकरण संख्या 03/2019 बअनवान कपूराराम वगैरह बनाम बगाराम वगैरह।

उपस्थित–

1. श्री परमानंद शर्मा, श्री निखिल दवे, श्री अमृतलाल गर्ग, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री खसाराम परिहार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5
3. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, श्रीमती ज्योत्सना राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 13.12.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.09.2022 सहायक कलक्टर सायला

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

राजस्व प्रकरण संख्या 03/2019 बअनवान कपूराराम वगैरह बनाम बगाराम वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 ने रेस्पोंडेंट संख्या 6 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क आरटीएक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा दादाल के वर्तमान खसरा संख्या 1380 रकबा 4.52 हैक्टेयर में जाने के लिए खसरा संख्या 1379 में से रास्ता प्रदान करने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जोकि सर्वथा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। चूंकि रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 द्वारा स्पष्ट रूप से स्वयं की आराजी में जाने हेतु खसरा संख्या 1379, जोकि रेस्पोंडेंट संख्या 6 का था, में से मांग की गई हैं एवं प्रार्थना पत्र दर्ज कर जो मौका रिपोर्ट तलब की गई एवं जिस आदेश के द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है, वह दिनांक 16.05.2020 को किया गया है। जबकि मौका निरीक्षण के वक्त अपीलांट्स व रेस्पोंडेंट संख्या 7 से 13 न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार थें एवं न ही उन्हें किसी प्रकार से मौका निरीक्षण की सूचना दी गई। मौका फर्द दिनांक 16.05.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मौका फर्द निरीक्षण में यह उल्लेख किया गया है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 अपनी पड़ोसी खातेदारों की भूमि में से आवागमन करते हैं एवं ट्रैक्टर आदि ले जाते हैं तथा वर्तमान में मौके पर रास्ता बंद होना बताया गया है, परंतु यह नहीं दर्शाया गया कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 किन खातेदारों की भूमि में से आवागमन करते हैं तथा किन के द्वारा उक्त रास्ता बंद किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दायित्व रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 का यह था कि वे धारा 251 के तहत बंद रास्ते को खुलवाने हेतु कार्यवाही करते, जो उनके द्वारा नहीं की गई तथा मौका फर्द दिनांक 16.05.2020 में यह नहीं दर्शाया गया है कि रेस्पोंडेंट संख्या 6 की भूमि में से रास्ते की मांग की गई थीं, वह खसरा संख्या 1379 में से कितनी दूरी का था। केवल मात्र अपीलांट्स को नुकसान पहुंचाने की नियत से उनकी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1407 में से कम दूरी का रास्ता बताते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की गई, जो उनकी अनुपस्थिति एवं बिना जानकारी के तैयार की गई थीं। इसके अतिरिक्त अपीलांट्स की ओर से दिनांक 30.06.2022 को उनके अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया था एवं दिनांक 16.09.2022 को उनका जवाब बंद कर दिया गया। इसके मध्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई, जबकि मौके पर अपीलांट्स का रहवासी कच्चा–पक्का मकान एवं पुश्तैनी बेरा खुदा हुआ है। जिसके बारे में कोई मौका रिपोर्ट न्यायालय की पत्रावली एवं मौका रिपोर्ट में नहीं हैं। दिनांक 16.05.2020 की जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, उसके अनुसार प्रस्तावित रास्ते में किसी प्रकार का पक्का निर्माण आदि का नहीं होना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

बताया गया है। जबकि उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट्स के पक्षकार बनाये जाने से पहले की हैं, जिसकी जानकारी अपीलांट्स को नहीं थीं। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व था कि अपीलांट्स को पक्षकार बनाने के पश्चात पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जानी आवश्यक थी, जिससे मौके की वास्तविक स्थिति का आकलन हो पाता। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों की अवहेलना कर विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त जैर अपील निर्णय को अपास्त फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच के लिए पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच प्रतिवेदन लिया जाकर अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए खसरा संख्या 1407 में से रास्ता स्वीकृत कर दिया गया।
2. अपीलांट का मुख्य उज्र यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जहां रास्ता स्वीकृत किया गया है, वहां अपीलांट्स का रहवासी कच्चा–पक्का मकान व पुश्तैनी बेरा है। मौका रिपोर्ट सही प्रेषित नहीं की हैं। मौका रिपोर्ट अपीलांट्स को पक्षकार बनाने से पहले की हैं। रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 ने रेस्पोंडेंट संख्या 6 की भूमि खसरा संख्या 1379 में से रास्ते की मांग की थीं। जैर अपील आदेश विधिविरूद्ध पारित किया गया है, जो काबिल खारिज है।
3. पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्देश पर भू–अभिलेख निरीक्षक सुराणा द्वारा दिनांक 16.05.2020 को मौका फर्द एवं जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया, जो तहसीलदार सायला द्वारा पत्रांक 630 दिनांक 08.10.2020 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया, जिसके अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1380 पर आवागमन के लिए कोई अभिलिखित रास्ता दर्ज नहीं हैं। प्रार्थी की अपनी खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु सबसे नजदीक रास्ता खसरा संख्या 1407 में से प्रस्तावित है, जिसकी लंबाई 20 मीटर व चौडाई 5 मीटर है। जो सबसे कम दूरी का है। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा संख्या 1380, 1407, 1379 एवं इससे लगते अन्य खसरान

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

एवं निकटतम अभिलिखित रास्ते के भू–नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 की आराजी खसरा संख्या 1380 तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 1407 की उत्तर–पूर्वी सीमा पर प्रस्तावित एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत रास्ता जो मात्र 20 मीटर लंबा है, जोकि निकटतम दूरी का है एवं जिसे स्वीकृत करने से न्यूनतम रकबा रास्ते के लिए प्रयुक्त होगा। जांच प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1407 के प्रस्तावित रास्ते पर तत्समय किसी भी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं था। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलांट द्वारा अपील में उठाए गए उज्र भली–भांति साबित नहीं होते हैं तथा आधारहीन होने से इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।

4. हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक प्रक्रियागत त्रुटि साबित नहीं होती हैं। अतः इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होती हैं। लिहाजा, अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। उपखंड अधिकारी सायला के राजस्व प्रकरण संख्या 03/2019 बअनवान कपूराराम वगैरह बनाम बगाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2022 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णीत होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली (राज.)

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली